निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1034) पटना, वृहस्पतिवार, 10 सितम्बर 2015

सं0 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015—1652

उद्योग विभाग

———————

संकल्प

2 सितम्बर 2015

विषयः— **उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश—कर की राशि का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान करने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार 2011 (समय—समय पर यथा संशोधित) की कंडिका—1 में संशोधन के संबंध में।**

राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई है, जो दिनांक 01.07.2011 से अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी है। राज्य सरकार, बिहार ने एतदद्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय—समय पर यथा संशोधित) की कंडिका—1 के उप शीर्षक **''स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क''** के उप कंडिका—(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया उप शीर्षक **''प्लांट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश—कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति''** एवं उसके प्रावधानों से संबंधित तीन नई उप कंडिकाएँ—(क), (ख) एवं (ग) के रूप में तुरंत के प्रभाव से जोड़ने का निर्णय लिया हैः—

''प्लांट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश—कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(क) वैसी औद्योगिक इकाइयाँ, जिनका अधिकृत हिस्सा पूँजी या कुल निवेश 200 करोड़ रू0 से कम हो, द्वारा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी अथवा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त डी0जी0 सेट के प्लांट एवं मशीनरी अथवा कैपटिव पॉवर प्लांट के निर्माण हेतु प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी, यदि इसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त हो, पर चुकाए गए प्रवेश—कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) उप कंडिका—(क) की सुविधा उत्पादन पूर्व उपलब्ध होगी। इकाई में प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना आवश्यक होगी जिसकी स्थल जाँच बियाडा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। अगर किसी कारणवश इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति उत्पादन के बाद इकाई को की जाएगी।

(ग) उप कंडिका—(क) की सुविधा की पात्रता की जाँच वाणिज्य—कर विभाग द्वारा की जाएगी।''

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव।

No. 4 / तक0 / विविध / बिक्री कर / संशोधन / 111 / 2015—1653

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

———————

RESOLUTION

The 2nd September 2015

Subject:- Regarding amendment in para-1 of Industrial Incentive Policy, Bihar 2011 (as amended from time to time) for provision of reimbursement of 100 percent entry tax paid on Plant and Machinery for establishment of Industries.

The Industrial Incentive Policy, Bihar 2011 has been enforced in the state for the purpose of attracting capital investment which is effective from 01.07.2011 till next five years. The State Government of Bihar has hereby decided to add the following new sub heading **"100% reimbursement of Entry Tax paid on Plant and Machinery"** and its provisions related three new sub paras as (a), (b) and (c) after sub para-(c) of sub heading **"Stamp Duty and Registration Fees"** of para-1 of Industrial Incentive Policy, Bihar-2011(as amended from time to time) with immediate effect:-

"**100% reimbursement of Entry Tax paid on Plant and Machinery.**

(a) Such industrial units whose authorised share capital or total investment is below Rs. 200 crores, will get 100 percent reimbursement of entry tax paid on plant and machinery used in the production of goods for sale or on plant and machinery of D.G. Set used in production of goods for sale or on plant and machinery used in the construction of Captive Power Plant if the power generated from such Captive Power Plant is consumed in the production of goods for sale.

(b) facility of the sub para-(a) will be available before production. Establishment of plant and machinery will be compulsory in the unit of which site inspection shall be done by BIADA / General Manager, District Industries Centre. If reimbursement has not been obtained by such units due to any reason then reimbursement will be made to the unit after production.

(c) Examination of the eligibility of facility of sub para-(a) will be done by the Commercial Taxes Department."

By order of the Governor of Bihar,
TRIPURARI SHARAN,
Principal Secretary.

———————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1034-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in